

फसल बीमा योजनाओं का वसितार

स्रोत: द हट्टि

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय किसानों को समर्थन देने के लिये प्रमुख उपायों को मंजूरी दी है, जिसमें **डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरकों** के लिये विशेष सब्सिडी का वसितार एवं वर्ष 2025-26 तक **फसल बीमा योजनाओं** को जारी रखना शामिल है।

भारतीय किसानों को सहायता देने के लिये हाल ही में कौन से प्रमुख उपाय किये गए हैं?

- **फसल बीमा योजना:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
- **डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP):** 1 जनवरी, 2025 से अगले आदेश तक पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी से परे DAP पर एकमुश्त विशेष पैकेज बढ़ाने को मंजूरी दी।
 - यह वैश्विक बाजार में अस्थिरता के बावजूद **खरीफ एवं रबी मौसम** में किसानों के लिये **सस्ती दर पर DAP उर्वरक** सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- **नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष (FIAT):** पारदर्शिता बढ़ाने तथा किये गए क्लेम की गणना एवं नपिटान के लिये **YES-TECH** और **WINDS** नामक योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकीय पहलों के वित्तपोषण हेतु **824.77 करोड़ रुपए** की राशि के साथ FIAT के निर्माण को मंजूरी दी गई।
 - **प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन प्रणाली (YES-TECH):** YES-TECH के तहत प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों को महत्त्व देते हुए उपज आकलन के लिये **रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी** का उपयोग करना शामिल है।
 - **मौसम सूचना एवं नेटवर्क डाटा प्रणाली (WINDS):** **WINDS** का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर **संचालित मौसम केंद्र** और पंचायत स्तर पर **वर्षामापी** स्थापित करना है, जिससे अति-स्थानीय मौसम आँकड़ों के लिये नेटवर्क का घनत्व पाँच गुना बढ़ जाएगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

- **परिचय:** यह एक **फसल बीमा योजना** है, जो किसानों को वर्षा, तापमान, पाला, आर्द्रता आदि अप्रत्याशित फसल वफिलताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाती है।
- **उद्देश्य:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है, जो **बुवाई से पूर्व** से लेकर कटाई के बाद की अवधिक व्यापक फसल बीमा प्रदान करती है।
- **कवरेज:** इसमें **खाद्य फसलें** (अनाज, बाजरा और दालें), **तलहन** और वार्षिक **वाणज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें** शामिल हैं।
 - अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले **बटाईदारों** और **काश्तकारों** समेत सभी **किसान कवरेज के लिये पात्र हैं**।
- **प्रीमियम:** इस योजना के तहत किसान **खरीफ फसलों के लिये 2%**, **रबी फसलों के लिये 1.5%** और वाणज्यिक **बागवानी फसलों के लिये 5%** प्रीमियम का भुगतान करते हैं।

नोट: PMFBY प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिये मुआवजा देने के लिये वास्तविक फसल नुकसान के आकलन पर निर्भर करता है। इसके विपरीत, RWBCIS किसानों को वर्षा, तापमान, आर्द्रता और पवन की गति जैसे पूर्वनिर्धारित जलवायु मापदंडों से वचिलन के आधार पर मुआवजा देता है।

- RWBCIS इन जलवायु मापदंडों का उपयोग फसल की उपज के लिये प्रॉक्सी के रूप में करता है, ताकि प्रत्यक्ष क्षेत्र-स्तरीय आकलन की आवश्यकता के बगैर, फसल के नुकसान का अनुमान लगाया जा सके और उसकी भरपाई की जा सके।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न 1. 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार करें: (2016)

1. इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के कसिी भी मौसम में उनके द्वारा कसिी भी फसल की खेती करने पर दो प्रतशित की एकसमान दर से बीमा कशित का भुगतान करना होगा ।
2. यह योजना, चक्रवात एवं गैर-मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई-उपरांत घाटे को बीमाकृत करती हैं ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/extension-of-crop-insurance-schemes>

